

GCMS
2020/00015
07/01/2021

15

फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी वनाम श्री. नेका
हलका निबलकोट पुत्र श्री. पोकर जाति स्रांसी
निवासी निबलकोट

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 15 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	पटवारी हलका <u>निबलकोट</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2077</u> में मौजा <u>निबलकोट</u> के खसरा नंबर <u>348</u> रकबा <u>200 व फीट</u> किस्म भूमि <u>अ.मु.</u> <u>सोरो</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>29-7-2020</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
29-7-2020	पत्रावली भाण पेश हुई। और साभल अनुपस्थित। पटवारी हलका उपस्थित। और साभल को जवाब हेतु एक और अवसर दिभ जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	

13-8-2020

पत्रावली भाग पेश हुई और सापल
अनुपाप्ति / और सापल को एक और
भक्तर डिला जाकर, पत्रावली दिनांक
26-8-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाग पेश हुई और सापल
अनुपाप्ति / पत्रावली हल्का उपाप्ति /
और सापल को आतिक्रम चोषित करने
हुए पत्रावली फेसल सुमार हो।
निर्णय भाग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली हो। निर्णय सुबे व्यापार के
सुनाया भाग पत्रावली फेसल सुमार
होकर दारिद्र्य दफतर हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

पं. निम्ब ल जोर